रजिस्टर्ड सं० डी०-222

REGISTERED No. D.-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2, 1974/फाल्गुन 11, 1895

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 1974/PHALGUNA 11, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1974

का०नि०आ० 77.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 128, तारीख 18 फरवरी, 1970 के साथ प्रकाशित रक्षा उत्पादन विभाग (निरीक्षण महानिदेशालय) वर्ग 4 (औद्योगिक-इतर पद) भर्ती नियम, 1970 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का नाम रक्षा उत्पादन विभाग (निरीक्षण महानिदेशालय) वर्ग 4 (औद्योगिक-इतर पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 5 का प्रतिस्थापन** : रक्षा उत्पादन विभाग (निरीक्षण महानिदेशालय) वर्ग 4 (औद्योगिक-इतर पद) भर्ती नियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है) में, नियम, 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"5. **निरर्हताएं-वह** व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उपरोक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।"

3 **नए नियम 7 का अन्त:स्थापना**: उक्त नियमों के नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"7. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।"।

4. उक्त नियमों की अनुसूची में, क्रम सं० 1 से 4 के सामने, स्तंभ 8 में की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"लागू नहीं होता।"।

[फाइल सं० ए/87114/टीडी-49/11631-डी—(उत्पा०)]

अमर चन्द, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 3rd February, 1974

S.R.O. 77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Defence Production (Directorate General of Inspection) Class IV (Non-Industrial Posts) Recruitment Rules, 1970, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 128, dated the 18th February, 1970, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Defence Production (Directorate General of Inspection) Class IV (Non-Industrial Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Substitution of rule 5.**—In the Department of Defence Production (Directorate General of Inspection) Class IV (Non Industrial Posts) Recruitment Rule, 1970 hereinafter referred to as the said rules, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the above posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

3. **Insertion of new rule 7.**—After rule 6 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

"7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

4. In the Schedule to the said rules against Serial Numbers 1 to 4, for the existing entry in column 8 the following entry shall be substituted, namely :—

"Not applicable."

[File No. A/87114/TD-49/11631/D-(Prod)]

AMAR CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1974

का० नि० आ० 78.—राष्ट्रीय केडेट कोर नियम, 1948 के नियम 42 के उपनियम (2) के साथ पठित राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० 212 तारीख 26 जुलाई 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है ; अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 15 के सामने की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात:--

'श्रीमती पुष्पमयी बोस, रेक्टर, बालीगंज शिक्षा सदन, 51 ए गरियाहाट रोड, कलकत्ता-700019"

जे० सी० कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 15th February, 1974

S.R.O. 78.—In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948) read with sub-rule (2) of rule 42 of the National Cadet Corps Rules, 1948, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 212 dated the 26th July, 1973, namely :—

In the said notification, for the entry against serial number 15, the following entry shall be substituted, namely :—

"Smt. Puspamayee Bose, Rector, Ballygunge Siksha Sadan, 51A, Gariahat Road, Calcutta-700019."

J. C. KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1974

का० नि० आ० 79.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4, 17 नवम्बर, 1956 में प्रकाशित, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 369, तारीख 1 नवम्बर, 1956 को अतिष्ठित करते हुए, देहरादून, छावनी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से अनुसूची के अनुसार पथ-कर अधिरोपित करता है, अर्थात् :--

अनुसूची

माल या यात्रियों से लदे हुए यानों पर, जो देहरादून छावनी में प्रवेश करें या गुजरें, पथ-कर नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर उद्गृहीत किया जाएगा :--

	रु०
(1) लदा हुआ ट्रक (1 से 4 मीटरी टन)	3.00
(2) लदा हुआ ट्रक (4 से 7 मीटरी टन)	6.00
(3) लदा हुआ ट्रक (7 से 8 मीटरी टन)	6.50
(4) लदा हुआ टेम्पो (3 या 4 पहियों वाला)	2.00
(5) लदे हुए स्टेशन वेगन जो व्यापार के प्रयोजन के लिए माल ले जाते हों।	2.00
(6) मोटर बस (सिवाय स्थानीय बसों के) जो यात्री/माल ले जाते हों।	2.00
(7) ट्रेलर सहित लदे हुए ट्रेक्टर	2.00
(8) व्यापार के प्रयोजनों के लिए माल से लदी हुई कार/जीप/आटो रिक्शा	1.00
(9) व्यापार के प्रयोजनों के लिए माल ले जाने वाले लदे हुए स्कूटर रिक्शा।	0.50
(10) लदी हुई पंजाबी गाड़ियां (1500 कि० ग्रा०)	3.00
(11) छोटा ठेला (750 कि० ग्रा०)	1.50

	रु०
(12) लदी हुई दो बैलों वाली गाड़ियां (775 कि० ग्रा०)	1.25
(13) लदी हुई एक बैल वाली गाड़ी (300 कि० ग्रा०)	0.75
(14) दो आदमियों द्वारा खींची जाने वाली हाथ गाड़ी (375 कि० ग्रा०)	0.50
(15) एक आदमी द्वारा चलाई जाने वाली तीन पहियों वाली साईकल/हाथ गाड़ी/रेहड़ी (200 कि० ग्रा०)	0.25
(16) माल से लदा हुआ तांगा	0.50
(17) घोड़ा/गधे की पीठ पर का भार (125 कि० ग्रा०)	0.25
(18) माल ले जाने वाली लदी हुई बाइसिकल	0.15
(19) सिर पर रखा हुआ भार	0.10
(20) लदी हुई मोटर साइकिल/स्कूटर	0.25

परन्तु यथा पूर्वोक्त कोई भी पथ-कर निम्नलिखित पर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा :—

(क) जो यान,

(i) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के हों और ऐसे माल को ले जा रहे हों जो उस सरकार की प्रमाणित सम्पत्ति हो। किन्तु ऐसे स्टोर, जिनका सरकारी स्टोर के रूप में आयात किया गया हो और आयात के समय पथ-कर के संदाय से छूट प्राप्त हो, कर के संदाय के दायित्व के अधीन तब होंगे जब तत्पश्चात् उनका सदाय पर विक्रय किया जाए।

(ii) छावनी बोर्ड के हों और ऐसे माल को, जो छावनी बोर्ड की प्रमाणित संपत्ति हो, ले जा रहे हों।

(ख) एकल रूप से अंत्येष्ठि पार्टियों को ले जाने वाले यान।

(ग) 10 कि० ग्राम भार तक का माल, जब वह पीठ पर, बहंगी या सिर पर, या साइकिल स्कूटर पर ले जाया जाए।

(घ) कृषकों का अनाज/धान जो छावनी की सीमाओं के भीतर पिसवाने या कुटवाने के प्रयोजनों के लिए लाया जाए, परन्तु उसको छावनी की सीमाओं से, उपभोग या बेचे बिना वापस भेज दिया जाता हो।

(ङ) डाकखाने के माध्यम से मंगाए गए सभी पार्सल।

(च) पैक किए गए समाचार पत्र और विज्ञापन संबंधी सामग्री।

(छ) मिट्टी का तेल, कोयला, कोक पेटेन्ट ईंधन, नमक और खाद/उर्वरक और दियासलाई की डिबिया।

(ज) यात्री सामान अथवा किसी यात्री द्वारा आयात किया गया गृहस्थी का सामान।

स्पष्टीकरण—(क) "सामान" से, बिस्तर, कालीन, कम्बल, छाता, छड़ी, खाना रखने वाली टोकरी, छोटे हेंड बेग, अटेची केस और सूटकेस अभिप्रेत होंगे।

(ख) "गृहस्थी का सामान" से, पहनने के वस्त्र, खाना पकाने वाले बर्तन, पुस्तकें, इस्तेमाल किया हुआ फर्नीचर, पर्दे और प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली अन्य ऐसी वस्तुएं प्रयोग किए गए तम्बू और कैम्प फर्नीचर, बच्चागाड़ी, पियानो और अन्य संगीत संबंधी उपकरण अभिप्रेत होंगे।

(झ) सरकारी सेवकों का माल, जो सरकारी दौरे या स्थानान्तरण के अवसर पर छावनी में होकर गुजरे।

(ञ) ऐसे माल, जिसका स्वत्व देहरादून जिला बोर्ड, नगर बोर्ड छावनी बोर्ड या क्लेमण्ट शहर छावनी बोर्ड में निहित है, यदि इनके साथ शुल्क-द्वार से गुजरते समय संबद्ध बोर्ड के सचिव या कार्य-पालक आफिसर का ऐसा प्रमाणपत्र हो कि वे बोर्ड की संपत्ति है और बेचने के प्रयोजनार्थ आयात नहीं किए गए हैं। प्रमाणपत्र पर संबद्ध बोर्ड की मुद्रा लगी होनी चाहिए और वह शुल्क-द्वार पर ड्यूटी पर तैनात टोल कलक्टर/मुहर्रर को आयात के समय दिया जाना चाहिए।

(ट) ऐसे माल, जो छावनी सीमाओं से बाहर किसी क्षेत्र में विवाह या समाजिक समारोहों के लिए, छावनी सीमाओं में से बाहर ले जाए जाने के पश्चात् छावनी में पुन: लाए गए हों, परन्तु उन्हें बाहर ले जाने से पहले, अध्यक्ष टोल समिति, अधीक्षक, पथ-कर, या छावनी कार्य-पालक आफिसर, देहरादून छावनी से, बाहर ले जाए जाने वाले वस्तुओं को दर्शित करने वाला इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया हो।

(ठ) शादी, मुण्डन, मृत्यु संस्कार आदि जैसे सभी सामाजिक और धार्मिक समारोहों से सबंधित आयात की गई मिठाईयां, उपहार/दहेज की वस्तुएं, भाड़े पर/उधार ली गई वस्तुएं।

(ड) सेट जॉन ऐम्बुलेंस और रेडक्रास स्टोरों से संबंधित सभी आयात जो इस शर्त के अधीन होंगे कि ऐसे माल के साथ इस प्रयोजन के लिए संगठन के किसी आफिसर द्वारा इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र हो कि वे माल सेट जॉन ऐम्बुलेंस/रेड क्रास स्टोरों के लिए हैं।

(ढ) अन्तराष्ट्रीय शिशु आयात निधि और भारत सरकार के बीच, हुए करार के अधीन आयातित सभी प्रदाय और उपस्कर, परन्तु इस प्रभाव का प्रमाणपत्र आयात शुल्कद्वार पर दिया गया हो।

(ण) संयुक्त राज्य अमरीका सरकार या संयुक्त राज्य अमरीका के अन्य मान्यताप्राप्त सहायता सगठनों और अन्य विदेशों के साथ हुए सहायता प्रदाय करार के अधीन मुफ्त उपहारों के रूप में प्राप्त खाद्य पदार्थ।

[फा० सं० 53/14/सी/एल एण्ड सी/71/573-सी/डी (क्यू एण्ड सी)]
रघुनाथ राय, अवर सचिव

New Delhi, the 18th Feb. 1974

S.R.O. 79.—In exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. S.R.O. 369, dated the Ist November, 1956, published in Part II, Section 4 of the Gazette of India, dated the 17th November, 1956, the Cantonment Board, Dehra Dun, with the previous sanction of the Central Government, hereby imposes a Toll Tax as per the Schedule, namely:-

SCHEDULE

A toll on vehicles laden with goods or passengers entering or passing through Dehra Dun Cantonment shall be levied at the rates specified below:-

	Rs.
(1) Laden Truck (1 to 4 Metric Tonnes)	3.00
(2) Laden Truck (4 to 7 Metric Tonnes)	6.00
(3) Laden Truck (7 to 8 Metric Tonnes)	6.50

(4) Laden Tempo (3 or 4 wheelers)	2.00
(5) Laden Station wagon carrying goods for business purposes.	2.00
(6) Motor Bus carrying passengers/goods (except local bus).	2.00
(7) Laden Tractor with trailor.	2.00
(8) Car/Jeep/Auto Rickshaw laden with goods for business purposes.	1.00
(9) Laden Scooter Rickshaw carrying goods for business purposes.	0.50
(10) Laden Punjabi Carts (1500 Kg)	3 00
(11) Jhota Thela (750 Kg)	1.50
(12) Laden two bullock carts (775 Kg.)	1.25
(13) Laden one bullock cart (300 Kg)	0.75
(14) Hand carts drawn by two men (375 Kg)	0.50
(15) Tricycle/hand cart/rehri drawn by one man (200 Kg.)	0 25
(16) Tonga Laden with goods.	0.50
(17) Horse/donkey back load (125 Kg.)	0.25
(18) Laden bicycle carrying goods.	0.15
(19) Head load.	0.10
(20) Laden Motor cycle/scooter.	0.25

Provided that no toll as aforesaid shall be levied on :—

(a) Vehicles belonging to:—

(i) the Government of India or any State Government carrying goods certified to be the property of that Government. However, such stores, which are, imported as Government stores and are exempt from payment of toll tax at the time of import shall become liable to payment of tax when subsequently sold on payments.

(ii) the Cantonment Board carrying goods certified to be the property of the Cantonment Board.

(b) Vehicles carrying solely funeral parties.

(c) Goods upto the weight of 10 Kgs. when being carried as back load, bahengi load or head load, or cycle scooter.

(d) Grains/paddy belonging to agriculturalists brought within the limits of Cantonment for the purpose of grinding or husking, provided that the same is exported back from the limits of Cantonment without being consumed or sold.

(e) All parcels imported through the Post Office.

(f) News papers packed and advertising materials.

(g) Kerosene oil, coal, coke patent fuels, salt and manure/fertilizer and match box.

(h) Luggage of passengers and used house-hold effects imported by a passenger.

Explanation— (a) "Luggage" will mean beddings, rugs, blankets, umbrellas, sticks, tiffen baskets, small hand bags, attache cases and suit cases.

(b) "House-hold effects" will mean wearing apparel, cooking utensils, books, used furniture, curtains, and such other articles of daily use, and type-writer, used tents and camp furniture, perambulators, pianos, gramophones, and other musical instruments.

(i) The goods of public servants passing through the Cantonment on official tour or on occasion of transfer.

(j) Goods, the property of which is vested in the Dehra Dun District Board, City Board, Cantonment Board, or Clement Town Cantonment Board, if accompanied at the time they pass the barrier by a certificate from the Secretary or Executive Officer of the Board concerned that they are the property of the Board and are not imported for the purpose of being sold. The certificate should bear the seal of the Board concerned and must be tendered at the time of import to the Toll Collector/Moharrir on duty at the barrier.

(k) Articles re-imported into the Cantonment after having been taken out of Cantonment limits, for marriage, and social functions in area outside Cantonment limits, provided that before taking them out a certificate to this effect showing the articles exported is obtained from the Chairman Tool Committee, Superintendent, Toll Tax, or the Cantonment Executive Officer, Dehra Dun Cantonment.

(l) Sweets, presents/dowry articles, articles obtained on hire/loan, imported in connection with all social and religious ceremonies such as marriage, mundan, death ceremonies etc.

(m) All imports meant for St. John Ambulance and Red Cross stores subject to the condition that such goods are accompanied with certificate by an officer of the organisation to the effect that they are St. John Ambulance/Red Cross stores.

(n) All supplies and equipment etc., imported under the agreement between the International Children's Emergency Fund and Government of India, provided a certificate to this effect is given at the importing barrier.

(o) Food stuffs received for free gifts under the Relief Supplies agreement with the Government of U.S.A. and by other recognised relief organisations of U.S.A. and other foreign countries.

[File No. 53/14/C/L&C/71/573-C/D(Q&C.]

RAGHUNATH RAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1974

का०नि०आ० 80 —छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 4, तारीख 28 सितम्बर, 1957 में प्रकाशित, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०आ० 323, तारीख 13 सितम्बर, 1957 को अतिष्ठित करते हुए, सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित वस्तुओं पर, सिकन्दराबाद छावनी में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के प्रयोजन के लिए उसकी सीमाओं के भीतर उनके प्रवेश के समय, उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तम्भ (2) में प्रत्येक वस्तु के सामने वर्णित दर पर चुंगी अधिरोपित करता है।

सारणी

वस्तु	चुंगी की दर
(1)	(2)
(1) सभी प्रकार का अनाज	30 पैसे प्रति क्विंटल।
(2) सभी प्रकार का आटा .	उस अनाज पर जिससे आटा तैयार किया गया है तत्समय उद्गृहीत दर का पिचत्तर प्रतिशत।
(3) शराब और स्पिरिट .	25 पैसे प्रति लीटर।
(4) बीअर .	पांच पैसे प्रति लीटर।
(5) चीनी, शीरा और गुड़ .	4 रु० प्रति क्विंटल।

(1)	(2)
(6) घी	4.50 रु० प्रति क्विंटल।
(7) घी प्रतिस्थापक (चाहे वे किसी भी संमिश्रण के हों) जो शुद्ध घी नहीं है किन्तु वे शुद्ध घी के सदृश हों और जो शुद्ध घी, जिसके अंतर्गत उदजन-शोधित वनस्पति तेल भी है, के प्रतिस्थापक के रूप में प्रयोग किए जाने योग्य हो।	दस रुपए प्रति क्विंटल।
(8) सीमेंट	एक रुपए प्रति टन।
(9) इमारती लकड़ी जिसके अंतर्गत रेल-स्लीपर नहीं हैं।	इसके बाजार मूल्य का तीन प्रतिशत
(10) प्लाई लकड़ी या कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई किसी अन्य किस्म की लकड़ी।	इसके बाजार मूल्य का तीन प्रतिशत।
(11) ईंधन	छप्पन पैसे प्रति टन।
(12) लकड़ी का कोयला .	एक रुपया प्रति टन।
(13) चाय . . .	आठ पैसे प्रति किलोग्राम।
(14) कोयला . .	चवालीस पैसे प्रति टन।
(15) (i) सूखे छुआरे . .	एक रुपया पचास पैसे प्रति क्विंटल।
(ii) आर्द्र छुआरे .	एक रुपया प्रति क्विंटल।
(16) लोहा और इस्पात	दो रुपए पचास पैसे प्रति टन।
(17) कागज:	
(क) कार्डों या अन्य वैसे ही प्रयोजनों के लिए	दो रुपए प्रति क्विंटल।
(ख) गत्ता।	अड़तीस पैसे प्रति क्विंटल।
(18) खाद्य पदार्थ :--	
(क) सूअर का मास और हम	6 1/4 प्रतिशत मूल्यानुसार।
(ख) खाद्य मक्खन	
(ग) फल (डिब्बा बंद, टिन बंद, बोतल बंद, बक्स बंद और गत्ता-डिब्बा बंद)।	
(घ) मछली (डिब्बा बंद, टिन बंद, बोतल बंद, बक्स बंद और गत्ता-डिब्बा बंद)।	
(ङ) पनीर	
(च) मिष्टान	
(छ) जैम और जैली	
(ज) संघनित और परिरक्षित दूध	
(झ) सभी प्रकार के मांड़ीदार खाद्य।	
(ञ) अचार	
(ट) कोको और चाकोलेट	
(ठ) बिस्कुट और केक	
(ड) सूअर की चर्बी।	
(ढ) फल के रस और सभी पेय	
(ण) सभी प्रकार के खाद्य और पेय जिनके लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है।	
(त) समस्त दूध चूर्ण।	
(थ) क्रीम उतरा दूध चूर्ण।	
(द) मावा और दूध की क्रीम।	

1. किसी ऐसी वस्तु पर कोई भी चुंगी उद्गृहीत नहीं की जाएगी, जिसके बारे में छावनी की सीमाओं के भीतर उसके प्रवेश के समय, इस निमित्त सरकार द्वारा सशक्त किसी आफिसर द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि वह सरकारी संपत्ति है और उसका केवल सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग किया जाएगा या वह ऐसे प्रयोग के लिए आशयित है और उसका लाभ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा या वह ऐसे प्रयोग के लिए आशयित नहीं है।

2. यदि कोई ऐसी वस्तु, जिस पर चुंगी देय हो, सरकार के साथ हुए किसी विनिर्दिष्ट संविदा को पूरा करने के प्रयोजन के लिए या अन्यथा सरकार के प्रयोग के लिए, इस प्रकार लाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किसी लिखित घोषणा के अधीन छावनी की सीमाओं के भीतर लाई गई हो तो उस पर संदत्त चुंगी की रकम, यदि कोई हो, इस प्रकार लाए जाने के पश्चात् छः मास के भीतर किसी भी समय, इस निमित्त सरकार द्वारा सशक्त किसी आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर पूर्णतया वापस कर दी जाएगी जिसमें यह विवरणित हो कि इस प्रकार लाई गई वस्तु सरकार की संपत्ति है और उसका केवल सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही प्रयोग किया गया है या वह ऐसे प्रयोग के लिए आशयित है और उसका लाभ के प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया गया है या वह ऐसे प्रयोग के लिए आशयित नहीं है।

3. छावनी की सीमाओं के भीतर लाई गई किसी ऐसी वस्तु को, जो छावनी से तुरंत बाहर ले जाए जाने के लिए आशयित हो, इस प्रकार लाने वाले व्यक्ति के विकल्प पर चुंगी के उद्ग्रहण से तब छूट दी जा सकेगी जब ऐसी वस्तु छावनी के भीतर प्रवेश के स्थान से छावनी के बाहर जाने के स्थान को तीन घंटे के भीतर और निम्नलिखित फीस का संदाय कर दिए जाने पर सीधे ले जाई गई हो :--

(क) 5 रु० (पांच रुपए) प्रति मोटर गाड़ी, और

(ख) 1 रु० (एक रुपया) प्रति गाड़ी जो पशु या मनुष्य द्वारा खींची जाती हो।

[फा० सं० 53/15/सी/एल एण्ड सी/72/593-सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 19th February, 1974

S.R.O. 80.—In exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO 323 dated the 13th September, 1957, published in Part II—Section 4 of the Gazette of India dated the 28th September 1957, the Cantonment Board, Secunderabad, with the previous sanction of the Central Government, hereby imposes an Octroi tax on the articles mentioned in column (1) of the table below at the time of their entry into the limits of the Secunderabad Cantonment for purposes of consumption, use or sale therein at the rate mentioned against each articles in the corresponding column (2) of the said table.

TABLE

Article	Rate of Octroi
(1)	(2)
(1) Grain of all sorts.	—30 paise per quintal
(2) Flour of all sorts.	—Seventy five per cent of the rate for the time being levied on the grain from which the flour is prepared.
(3) Wines and Spirits.	—25 paise per litre
(4) Beer.	—Five paise per litre
(5) Sugar, molasses and Gur.	—Rs. 4/- per quintal
(6) Ghee.	—Rs. 4 50 per quintal.
(7) Ghee Substitutes (of whatever composition) which are not pure ghee but which resemble pure ghee and are capable of being used as substitute for pure ghee including hydrogenated vegetable oil,	—Ten rupees per quintal.
(8) Cement	—One rupee per tonne.
(9) Timber exclusive of railway sleepers	—Three per cent of its market value.
(10) Plywood or any other kind of wood prepared, by artifical process	—Three percent of its market value.
(11) Fire wood.	—Fifty six paise per tonne.
(12) Charcoal	—One rupee per tonne.
(13) Tea.	—Eight paise per Kg.
(14) Coal.	—Forty-Four paise per tonne.
(15)(i) Dates dry.	—Rupee one & Fifty paise, per quintal.
(ii) Dates wet.	—One rupee per quintal
(16) Iron and Steel.	—Two rupees and fifty paise per tonne.
(17) **Paper:**	
(a) For cards or other like purposes	—Two rupees per quintal
(b) Strawboard	—Thirty Eight paise per quintal.
(18) **Edible:**—	
(a) Bacon and Hum	—Six and a quarter per cent ad valorem
(b) Table butter	
(c) Fruits (canned, tinned, bottled boxed or cartoned).	
(d) Fish (canned, tinned bottled, boxed or cartoned).	
(e) Cheese	
(f) Confectionery.	
(g) Jams and Jellies.	
(h) Milk condensed and preserved	
(i) All sorts of farinaceous foods	
(j) Pickles	
(k) Cocoa and Chocolates	
(l) Biscuits and Cakes	
(m) Lard	
(n) Fruit Juices and all beverages	
(o) All Kinds of food and drink not specifically provided for.	
(p) Whole milk powder	
(q) Skimmed milk powder	
(r) Mawa & Milk cream	

1. No octroi shall be levied on any article which, at the time of its entry into the Cantonment limits, is certified by an Officer empowered by the Government in this behalf, to be the property of the Government, to be used or intended to be used solely for public purposes and not to be used or intended to be used for purposes of profit.

2. If any article on which Octroi is payable is brought into the Cantonment limits under a written declaration signed by the person so bringing in, that such article is being brought in, for the purpose of fulfilling a specified contract with the Government or otherwise for the use of the Government the amount, if, any, of the Octroi paid thereon shall be refunded in full on production, at any time within six months after being brought in, of a certificate signed by an Officer empowered by the Government in this behalf, stating that the article so brought in has become the property of the Government, is used or intended to be used solely for a public purpose and is not used or intended to be used for purposes of profit.

3. Any article brought into the Cantonment limits and which is intended to be taken out of the Cantonment immediately, may at the option of the person bringing in, be exempted from levy of octroi if such article is conveyed direct from the place of entry into the Cantonment to the place of exit from the Cantonment within three hours and on payment of the following fee:—

(a) Rs 5/- (Five) per motor vehicle and

(b) Rs. 1/- (One) per cart drawn by animal or human beings.

[File No. 53/15/C/L&C/72/593-C/D (Q&C).]

का०नि०आ० 81.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 23 अप्रैल, 1974 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को खास योल छावनी में साधारण निर्वाचन किये जायेंगे ।

[फाइल सं० 29/75/सी-एलएण्ड सी/66/595-सी/डी० (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 81.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 23rd April, 1974 as the date on which elections in Khas Yol Cantonment shall be held.

[F. No. 29/75/C/L&C/66/595-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 82.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 14 अप्रैल, 1974 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को अहमदाबाद छावनी में साधारण निर्वाचन किये जाएंगे।

[फाइल सं० 29/37/सी/एल एण्ड सी/66/594-सी/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 82.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 14th April, 1974. as the date on which elections in Ahmedabad Cantonment shall be held.

[File No. 29/37/C/L&C/66/594-C/D (Q&C)]

का० नि० आ० 83.—सिकन्दराबाद छावनी (वार्डों में विभाजन) नियम, 1970 में संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 31 के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, सभी ऐसे व्यक्तियों को, जिनका इसके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है, जानकारी के लिए, उक्त धारा की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से साठवें दिन या उसके अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप के संबंध में, दक्षिणी कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ की मार्फत किसी व्यक्ति से उक्त अवधि के पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम सिकन्दराबाद छावनी (वार्डों में विभाजन) संशोधन नियम, 1974 है।

(2) ये नियम तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन.**—सिकन्दराबाद छावनी (वार्डों में विभाजन) नियम, 1970 में, नियम 4 में, वार्ड संख्या V-1 से संबंधित प्रविष्टि के सामने, "(अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित)" प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा।

[फा० सं० 29/47/सी/एल०एण्ड०सी०/66/596-सी/डी० (क्यू०एण्डसी०)]

S.R.O. 83.—The following draft rules to amend the Secunderabad Cantonment (Division into Wards) Rules, 1970, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of section 31 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), is hereby published, as required by the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of sixty days from the date of publication of these rules.

Any objections or suggestions which may be received from any person through the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command with respect to the said draft before the said period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Secunderabad Cantonment (Division into Wards) Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force at once.

2. **Amendment of rule 4.**—In the Secunderabad Cantonment (Division into Wards) Rules, 1970 in rule 4, against the entry relating to Ward No. V-1 ("Reserved for the Scheduled Castes/Tribes") shall be omitted.

[File No. 29/47/C/L&C/66/596-C/D(Q&C)]

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी, 1974

का० नि० आ० 84.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि प्रशासनिक कठिनाई से बचने के लिए यह आवश्यक है, एतद्द्वारा देवलाली छावनी बोर्ड के सभी निर्वाचित सदस्यों की पदावधि 4 सितम्बर 1974 तक या उनके पद उत्तराधिकारी के, शासकीय राजपत्र में, निर्वाचन अधिसूचना की तारीख तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा० सं० 29-32 सी०/एल०एण्ड सी०/66/603-सी०/डी०(क्यू०एण्ड सी०)]

New Delhi, the 21st February, 1974

S.R.O. 84.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 15 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government being satisfied that it is necessary in order to avoid administrative difficulty hereby extends the term of office of all the elected members of Deolali Cantonment Board up to 4th September, 1974, or the date of notification of elections of their successors in office in the official Gazette, whichever is earlier.

[File No. 29/32/C/L&C/66/603-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 85—यतः अम्बाला छावनी बोर्ड के संकर्मों को निष्पादित करने के लिये ठेकदारों के रजिस्ट्रीकरण और वर्गीकरण को विनियमित करने के लिये कतिपय प्रारूप-उपविधियों की सार्वजनिक सूचना, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 284 की अपेक्षानुसार, उक्त छावनी में अम्बाला छावनी बोर्ड की सूचना सं० 1/आर० के०/1971/5836, तारीख 16 सितम्बर, 1971 के अधीन प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

और यतः, पूर्वोक्त छावनी बोर्ड द्वारा 16 अक्तूबर, 1971 तक, जो आक्षेप और सुझाव भेजने की अंतिम तारीख थी, कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं किये गये थे;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 284 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उक्त प्रारूप-उपविधियों को सम्यक रूप से अनुमोदित और पुष्ट कर दिया है;

अतः, अब, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 282 के खंड (39) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 47 तारीख 1 फरवरी, 1968 के साथ प्रकाशित उपविधियों को अतिष्ठित करते हुय, अम्बाला छावनी बोर्ड, अम्बाला छावनी बोर्ड के संकर्मों को निष्पादित करने के लिये ठेकेदारों के रजिस्ट्रीकरण और वर्गीकरण को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित उपविधियां बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन उपविधियों का नाम अम्बाला छावनी (ठेकेदारों के रजिस्ट्रीकरण और वर्गीकरण का विनियमन) उपविधि, 1974 है।

(2) ये उपविधियां राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।

2. **ठेकेदारों का रजिस्ट्रीकरण**.—कोई भी व्यक्ति अम्बाला छावनी बोर्ड के अधीन संकर्मों के निष्पादन के लिये निविदा भेजने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसका नाम अम्बाला छावनी बोर्ड के कार्यालय में रखे गये अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाता।

3. **संकर्मों के लिये निविदा करने की हकदारी**.—कोई भी व्यक्ति अम्बाला छावनी बोर्ड के अनुमोदित ठेकेदार की हैसियत में अपना नाम उस दशा में रजिस्ट्री करा सकेगा जब कि छावनी बोर्ड ने अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर में उसका नाम सम्मिलित करने के लिये अनुमोदन कर दिया हो और उसने उपविधि 5 में इस निमित्त विहित रजिस्ट्रीकरण फीस छावनी बोर्ड के पास जमा कर दी हो।

4. **ठेकेदारों का वर्गीकरण**.—अम्बाला छावनी बोर्ड के अनुमोदित ठेकेदारों की सूची, जो उनकी वित्तीय स्थिति और अनुभव पर आधारित होगी, निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित की जायेगी, अर्थात् :—

वर्ग 'क' इसमें ऐसे ठेकेदार होंगे, जो सब संकर्मों के लिये निविदा करने के हकदार होंगे।

वर्ग 'ख' इसमें ऐसे ठेकेदार होंगे, जो ऐसे संकर्मों के लिये निविदा करने के हकदार होंगे, जिसकी प्राक्कलित लागत 10,000 रु० से अधिक न हो।

5. **रजिस्ट्रीकरण फीस**.—इन उपविधियों के अधीन अम्बाला छावनी बोर्ड के अनुमोदित ठेकेदारों की हैसियत में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिये वांछा करने वाले व्यक्तियों द्वारा देय रजिस्ट्रीकरण फीस निम्न प्रकार होगी :—

वर्ग 'क' ठेकेदार—100 रु०

वर्ग 'ख' ठेकेदार—50 रु०

6. **अग्रिम धन**.— कोई ऐसा ठेकेदार, जो अम्बाला छावनी बोर्ड के अधीन संविदाओं के लिये निविदा करता है, अपनी निविदा के साथ निविदाकर्ता द्वारा लिये गये संकर्म की लागत के दो प्रतिशत के बराबर अग्रिम धन जमा करेगा :

परन्तु किसी अग्रिम धन की 1,000 रु० से कम लागत वाले संकर्म के लिए जमा किये जाने की अपेक्षा नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और कि ऐसे ठेकेदार, जिनकी निविदायें उक्त छावनी बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, जमा अग्रिम धन के प्रतिदाय के लिये हकदार होंगे।

7. **संविदा करार और प्रतिभूति निक्षेप**.—उसे दिये गये संकर्म को प्रारम्भ करने के पूर्व सफल निविदाकर्ता से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह—

(i) उक्त छावनी बोर्ड द्वारा अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अनुसार उसे दिये गये संकर्म को निष्पादित करने के लिये स्वयं को आबद्ध करते हुये, समुचित मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्पित-पत्र पर अम्बाला छावनी बोर्ड के साथ एक संविदा करार निष्पादित करे; और

(ii) संविदा के समुचित पालन के लिये संकर्म की प्राक्कलित लागत के पांच प्रतिशत के बराबर नकद-निक्षेप प्रतिभूति हेतु उक्त छावनी बोर्ड को दे।

8. **अनुपूरक उपबंध**.—अम्बाला छावनी बोर्ड को इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वह अनुमोदित ठेकेदारों की सूची में किसी ठेकेदार का नाम सम्मिलित करने के पूर्व ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित करे, जिन्हें उक्त छावनी बोर्ड युक्तियुक्त समझे और जो इस सम्बन्ध में सैनिक इंजीनियरी सेवा और लोक-निर्माण विभागों में प्रचलित प्रथा के अनुरूप हो।

[फाइल सं० 12/7/सी०/एल०एण्ड सी०/61/585-सी०/डी० (क्यू० एंड सी०)]

S.R.O. 85.—Whereas public notice of certain draft bye-laws for regulating the registration and classification of contractors to carry out the works of the Cantonment Board, Ambala, was published as required by section 284 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) in the said Cantonment under the Cantonment Board, Ambala. Notice No. 1/RK/1971/5836, dated the 16th September, 1971, for inviting objections and suggestions within a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And whereas, no objections or suggestions were received by the aforesaid Cantonment Board up to the 16th October, 1971 which was the last date for submitting objections and suggestions;

And whereas the Central Government have duly approved and confirmed the said draft bye-laws as required by sub section (1) of section 284 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (39) of section 282 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) and in supersession of the bye-laws published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 47, dated the 1st February, 1968, the Cantonment Board, Ambala, hereby makes the following bye-laws for regulating the registration and classification of contractors to carry out the works of the Cantonment Board, Ambala, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These bye-laws may be called the Ambala Cantonment (Regulation of Registration and Classification of Contractors) Bye-laws. 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Registration of contractors.**—No person shall be entitled to submit a tender for execution of works under the Cantonment Board, Ambala, unless his name is duly registered in the register of approved contractors maintained in the office of the Cantonment Board, Ambala.

3. **Entitlement to tender for works.**—Any persons may register his name as an approved contractor of the Cantonment Board, Ambala, after the Cantonment Board has approved the inclusion of his name in the register of approved contractors and after he has deposited with the Cantonment Board the registration fee prescribed in this behalf in bye-law 5.

4. **Classification of contractors.**—The list of approved contractors of Cantonment Board, Ambala, shall, depending upon their financial position and experience, be divided in the following two classes, namely:—

CLASS 'A'.—Consisting of contractors who will be entitled to tender for all works.

CLASS 'B'.—Consisting of contractors who will be entitled to tender for works, the estimated cost whereof does not exceed Rs. 10,000/-.

5. **Registration fee.**—The registration fee payable by persons seeking to be registered as approved contractors of the Cantonment Board, Ambala, under these bye-laws shall be as under:—

Class 'A' contractor — Rs. 100/-

Class 'B' contractor —Rs. 50/-.

6. **Earnest Money.**—Any contractor who tenders for contracts under the Cantonment Board, Ambala, shall deposit

with his tender, earnest money equal to 2 percent of the cost of the work undertaken by the tenderer:

Provided that no earnest money shall be required to be deposited for works costing less than Rs. 1,000/-

Provided further that the contractors whose tenders are not accepted by the said Cantonment Board shall be entitled to the refund of earnest money deposited

7. **Contract agreement and security deposit.**—Before commencing the work awarded to him, the successful tenderer shall be required—

(i) to execute a contract agreement with the Cantonment Board, Ambala, on a non-judicial stamped paper of the appropriate value, binding himself to execute the work awarded to him in accordance with the terms and conditions laid down by the said Cantonment Board; and

(ii) to furnish to the said Cantonment Board a cash deposit equal to 5 percent. Of the estimated cost of the works towards security for proper performance of the contract.

8. **Supplemental provisions.**—It shall be open to the Cantonment Board, Ambala, to impose, before including a contractor's name in the list of approved contractors, such other conditions as the said Cantonment Board may consider reasonable and in consonance with the prevailing practice in the MES and PWD departments in this regard.

[File No. 12/7/C/L&C/61/585-C/D(Q&C)]

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1974

का० नि० आ० 86.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, दानापुर के निम्नलिखित व्यक्ति उनके सामने लिखी वार्डों से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुये हैं—

1. श्री शम्भु नाथ गुप्ता	वार्ड नं० I
2. श्री सरजुग लाल	वार्ड नं० II
3. श्री सीता राम	वार्ड नं० III
4. श्री श्याम बिहारी लाल	वार्ड नं० IV
5. श्री हाफीजुल्ला राही	वार्ड नं० V
6. श्री राम बाबू	वार्ड नं० VI
7. श्री केदार नाथ सिंह	वार्ड नं० VII

[फाइल सं० 29/26/सी०/एल० एंड सी०/66/632/सी०/डी० (क्यू० एंड सी०)]

New Delhi, the 22nd February, 1974

S.R.O. 86.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies the election of the following persons to the Cantonment Board Dinapore from the wards noted against each —

1. Shri Sambhu Nath Gupta	Ward No. I
2. Shri Sarjug Lal	Ward No. . II
3. Shri Sita Ram	Ward No. III
4. Shri Shyam Bihari Lal	Ward No. IV
5. Hafizullah Rahi	Ward No. V
6. Ram Babu	Ward No. VI
7. Shri Kedar Nath Singh	Ward No. VII

[File No. 29/26/C/L&C/66/632-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 87.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री मोहर सिंह, छावनी बोर्ड, चकराता के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुये हैं।

[फाईल नं० 29/27/सी०/एल० एंड० सी०/66/604-सी०/डी० (क्यू० एंड सी०)]

ओ० पी० भटनागर, अवर सचिव

S.R.O. 87.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri Mohar Singh has been elected as a member of the Cantonment Board, Chakrata.

[File No. 29/27/C/L&C/66/604-C/D(Q&C)]

O. P. BHATNAGAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1974